किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 9 व 11 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 29 को जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो परफोर्मा पक्षकार है। दिनांक 28.03.2023 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया, जिसे सामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी को प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादी गणपतसिंह का नाम लिपिकिय भूल से प्रतिवादी संख्या 14 के रूप में भि लिख दिया गया है। वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 14 एक ही व्यक्ति है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 14 का नाम हटाया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 14 गणपतसिंह का नाम हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 10, 12/1 से 12/4 एवं 13 से 28 कि ओर से जवाब नहीं देने, प्रतिवादी संख्या 9 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं प्रतिवादी संख्या 29 परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र गवाह हड़मानसिंह एवं जगदीशसिंह का प्रस्तुत किया एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा भावला के खाता संख्या 399 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 10, 12/1 से 12/4 एवं 13 से 28 कि ओर से जवाब नहीं देने, प्रतिवादी संख्या 9 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र को वाद अनुसार संलग्न माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन बहस में किया गया। वकिल प्रतिवादी ने भी वाद को वाद अनुसार संलग्न माफिक नजरी नक्शानुसार डिक्रि किये जाने का निवेदन दौराने बहस किया। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये तथा वकील वादी द्वारा अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर ग्राम भावला के मुतदाविया खेताय खसरा नम्बर 82 रकबा 17.1586 हैक्टेयर, के संबंध में वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 हड़मानसिंह व प्रतिवादी गण संख्या 15 से 19 व 25 से 29 क्रमशः कमलकंवर, घनश्यामसिंह, श्यामसिंह, प्रकाशकंवर, विनोदकंवर, पूर्णसिंह, शिवसिंह, अजीतसिंह, सुमेरसिंह एवं परमेश्वरसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला के खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 17.1586 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 4.2897 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए बी सी डी से दर्शित अनुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 3 जगदीशसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 24 क्रमशः रेवन्तसिंह, किरणकंवर, कैलाशसिंह, नन्दुसिंह एवं दिलीपसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला के खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 17.1586 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 4.2897 हैक्टेयर पश्चिमि दक्षिणी तरफ का भाग माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क सी डी ई एफ से दर्शित अनुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) लाखेरी

Scanned with CamScanner

3. वादी संख्या 2 गणपतसिंह व प्रतिवादी संख्या 13 खींवसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला के खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 17.1586 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 4.2896 हैक्टेयर बीच का भाग माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क बी ई जी एच आई जे के एल से दर्शित अनुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. वादी संख्या 4 फूलसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ये 12/4 क्रमशः अनिताकंवर, भवानीसिंह, रणवीरसिंह, सुमनकंवर, सुमित्रा, सुप्यार कंवर, किरण कंवर, सुशीला कंवर, गुलाबसिंह, गोपालसिंह, रामसिंह, पिन्टुकंवर, भंवरसिंह, बिरजुसिंह एवं बलवीरसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला के खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 17.1586 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा अर्थात 4.2896 हैक्टेयर उत्तरी तरफ का माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क जे के एल एम एन ओ पी से दर्शित अनुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. उक्त खसरान में बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा।

वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा। माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तद्नुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 20.7.22 मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner